शुद्धिपत्र

संख्या-440/2023/1131रासनि(2)/23-1-23-03(ए)आरएसएन बीएएन/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ:: 18 मई, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 19 चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3923/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, **दिनांक** 27.04.2023, **पत्र संख्या**-3998/CE-HQ1/RSN3054/ BAN/2023-24, **दिनांक** 29.04.2023, **पत्र संख्या**-4069/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2023-24, **दिनांक** 01.05.2023 **एवं पत्र संख्या**-4118/CE-HQ1/RSN3054/ BAN/2023-24, **दिनांक 03.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 19 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,41,18,000/- (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) निर्गत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-384/2023/1131रासनि/23-1-23/002-03(ए) आरएसएन-बीएएन/ 2023, दिनांक 13.05.2023 को पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरान्त संज्ञान में आया कि शासनादेश में कतिपय त्रुटियां है। अत: उक्त शासनादेश को ब्लाक करते हुए शासनादेश संख्या-411/2023/1131रासनि/23-1-23/002-03(ए)आरएसएन बीएएन/2023, दिनांक 15.05.2023 पुन: निर्गत किया गया है।**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-384/2023/1131रासनि/23-1-23/002-03(ए)आरएसएन-बीएएन/2023, दिनांक 13.05.2023 द्वारा स्वीकृत बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 19 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,41,18,000/- (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर शासनादेश संख्या-411/2023/1131रासनि/23-1-23/002-03(ए) आरएसएन बीएएन/2023, दिनांक 15.05.2023 द्वारा बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के 19 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,41,18,000/- (रूपये नौ करोड़ इकतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) स्वीकृत पढ़ा व समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-440/2023/1131रासनि(3)/23-1-23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।